

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/उत्खनन./ई7-ई 8 /2024/7587

दिनांक: 30/08/2024

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(V)/DPC/E7-E8_E&M/B-688 dated:- 28/08/2024 के आलोक में निम्नलिखित **मुख्य-प्रबन्धक (उत्खनन) / ई7 ग्रेड** की प्रोन्नति **महाप्रबंधक (उत्खनन)/ई8 ग्रेड (वेतनमान रु. 1,20,000-2,80,000)** के पद पर तत्काल प्रभाव से की जाती है एवं उन्हें अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर (जो उनके नाम के सामने दर्शाया गई है) पर योगदान देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

Sl.No.	EIS no	Name	Place of Posting
1	90192949	Sri Arif Akthar	N.K Area
2	90188608	Sri Sanjeev Kumar Singh	CRS, Barkakana
3	90166182	Sri Ashok Kumar	Execv Deptt ,HQ Ranchi
4	90167883	Sri Sanjay Kumar	Argada Area

संबन्धित अधिकारियों की प्रोन्नति उसी तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से वे उच्च पद पर पदभार ग्रहण करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। वे आगे के कार्य के लिए संबंधित क्षेत्र/मुख्यालय के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करेंगे।

संबन्धित अधिकारियों को आदेश जारी करने की तारीख से तीस(30) दिनों के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द माना जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में APAR भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

The order shall abide by the ultimate adjudication in the Writ Petition nos. 19607 (W) of 2017 with no. 9754 (W) of 2017 (Bani Singh Rana & Ors. With Pijush Kumar Singha & Ors. Vs CIL & Ors.) before the Hon'ble High Court of Calcutta.

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति पश्चात उपरांत किया जाता है।

(Signature)
20.9.24

प्रबन्धक (का-अधि-स्था^o)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

- निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, राँची।
- सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक (उत्खनन)/सुरक्षा / (सतर्कता) / (ईई) / (एचआरडी) / (प्रणाली) / (वित्त), सीसीएल, राँची।
- महाप्रबंधक:-नॉर्थ -कर्णपुरा /सीआरएस बरकाकाना /अरगड़ा क्षेत्र
- क्षेत्र वित्त प्रबंधक/अमला अधिकारी:- नॉर्थ -कर्णपुरा /सीआरएस बरकाकाना /अरगड़ा क्षेत्र।
- मुख्य प्रबंधक/ प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर) / (स्था.), सीसीएल, राँची।
- प्रबंधक/ उप-प्रबन्धक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, राँची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
- उप प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, राँची।
- सहायक प्रबंधक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, राँची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
- संबन्धित अधिकारी।
- व्यक्तिगत संचिका।